Dy.No./डायरी सं0 4890 Date/दिनाँक 24/08/2023
Comdt/कमांडेंट
DDO/आ०वि०अधिकारी
Adjt/दण्डपाल
Q.M/शिवि
DC(OPS)/उप–कमा०(प्रचालन)
Hdlc(R)/प्र०लिपिक

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
# हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

G20

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष / फैक्स : 05946–220002, ई .मेल :dfohld@gmail.com

पत्रांक 473 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 17 / 8 / 2023

सेवा में,

सेनानायक 57वीं वाहिनी,
सशस्त्र सीमा बल, सितारगंज,
उत्तराखण्ड।

विषयः– जनपद–चम्पावत में सशस्त्र बल की सीमा चौकी (थपलियालखेड़ा) के निर्माण हेतु 0.99 है० वन–भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सशस्त्र सीमा बल को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– **FP/ UK /OTHERS /148721 / 2021**)

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक– 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 66 / 2022 / एफ0सी0 / 1849 दिनांक 21.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–3 प्रतिपूरक वनीकरणः– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 2000 पौध का रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार शारदा रेंज के अन्तर्गत शारदा टापू द्वितीय बीट में शारदा टापू संख्या 37 के अन्तर्गत 1.98 है0 अवनत वन भूमि में किया जायेगा एवं 10 वर्षों का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA Rate for 1.98ha area (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी।

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459 / 12–1 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा वर्ष 2020–21 से वर्ष 2023–24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार पुनः निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार उक्त परियोजना हेतु 10 वर्षों के अनुरक्षण के लिए 1.98 है0 में वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर 4,48,791.00 रू0 / है0 के अनुसार रू0 8,88,606.18 या 8,88,606.00 (आठ लाख अटठासी हजार छः सौ छः मात्र) की धनराशी का आंकलन किया गया है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

| कसं0 | वित्तीय वर्ष | क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर (रू0 में) | उक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि (है0 में) | आंकलित धनराशी (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023–24 | 4,48,791.00 | 1.98 | 8,88,606.18 या 8,88,606.00 |

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य

इस संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित

लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं जिसके लिए रू0 56,000.00 (छप्पन हजार मात्र) की धनराशी आंकलित की गयी है, जिसका भुगतान आपके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के नाम जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, हल्द्वानी में देय हो का ड्राफ्ट जमा करना सुनिश्चित करें।

**3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्य**

क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्याः 202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ. सी. (pt. 2) दिनांक – 18.09.2003, 5–2 /2006– एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 – एफ. सी. दिनांक – 05.02.2009 तथा भारत सरकार के पत्र 5–3/2011–एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण के प्रस्ताव के तहत 0.99 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
उक्त बिन्दु के अनुसार 0.99 है0 वन भूमि हेतु रु 9,57,780.00/– की दर से आंकलित की गयी है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

| S.N. | Eco Class | Open Forest (In Rs.) | उक्त परियोजना हेतु वन भूमि (है0 में) | आंकलित धनराशी (रू0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9,57,780.00 | 0.99 | 9,48,202.20 या 9,48,202.00 |

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अन्य समस्त बिन्दुओं का अनुपालन कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः आप प्रतिपूरक वनीकरण तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य कैम्पा मद में जमा करें तथा सर्वेक्षण सीमांकन व स्तंभन की धनराशी प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी में जमा करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक 473 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी